

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 923/एक/15, निगरानी प्रकरण क्रमांक 833-दो/16 विरुद्ध  
आदेश दिनांक क्रमशः 25/3/2015 एवं 8-2-2016 पारित द्वारा तहसीलदार, सागर के प्रकरण  
क्रमांक 20/अ-70/14-15

पंकज मुखारया उम करीब 58 वर्ष पुत्र  
स्व0 राज कुमार मुखरिया, प्रिसपल ज्वाय एण्ड केम्पियन  
हायर सेकेन्डरी स्कूल करोला सागर म0 प्र0

- आवेदक

- विरुद्ध -

राजकुमार ठस्सू उम करीब 56 वर्ष पुत्र  
अवतार कृष्ण ठस्सू निवासी बसेरा काम्पलेक्स  
परकोटा, सागर म0 प्र0

- अनावेदक

श्री शिवप्रसाद पटेल, अभिभाषक, आवेदक

आ दे श

(आज दिनांक 10-3-16 को पारित)

यह निगरानियां रा.मं. में म0 प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल  
संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत तहसीलदार, सागर के प्रकरण क्रमांक 20/अ-  
70/14-15 में क्रमशः पारित आदेश दि 25-3-15 एवं 8-2-16 के विरुद्ध संस्थित हुई हैं.

मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया.



ये दोनों प्रकरण ग्राम करीला, तहसील सागर स्थित अनावेदक की भूमि स नं ५४/३२ पर आवेदक द्वारा किए गए कथित अनाधिकृत कब्जे को हटाने हेतु अनावेदक द्वारा धारा २५०, MPLRC के अंतर्गत प्रदत्त आवेदन दि २३-२-१५ के आधार पर तहसील, सागर में संस्थित प्र क्र २०/अ-७०/१४-१५ में प्रचलित कार्यवाहियों से जुड़े अंतरिम आदेशों से सम्बंधित हैं।

आवेदक ने उक्त आवेदन का जवाब तहसीलदार के समक्ष दि २५-३-१५ को दिया जिसमें उसने बताया कि अनावेदक ने उक्त धारा २५० के आवेदन का आधार वर्ष २००६ में हुए एक कथित सीमांकन को बनाया है। यह उत्तर प्राप्त होने पर तहसीलदार ने उसी दि २५-३-१५ को ही इस उत्तर का हवाला लेते हुए उनका प्रथम आक्षेपित अंतरिम आदेश आदेश-पत्रिका पर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि "चूँकि सीमांकन वर्ष २००६ का है, वर्तमान परिस्थितियों में भूमि की क्या स्थिति है, रा नि तथा पटवारी मौका स्थिति की रिपोर्ट शिकायत आवेदन के अलोक में पेश करें, उभयपक्ष उपस्थित रहें".

तहसीलदार के इस कार्यवाही आदेश के विरुद्ध आवेदक ने रा मं में उसकी प्रथम निगरानी प्रस्तुत की जिसमें उसने मुख्य आधार यह लिया कि अनावेदक ने सीमांकन के ९ वर्ष बाद बेदखली का आवेदन लगाया है जबकि उन्हें वह २ वर्ष के भीतर ही लगा देना चाहिए था। ऐसे में तहसीलदार द्वारा दि २५-३-१५ को पुनः सीमांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश विधि विरुद्ध है।

तहसीलदार के आदेश दि २५-३-१५ के आधार पर मौके पर दि १३-५-१५ को कार्यवाही हुई, जिसके उसी दिनांक के पंचनामे और प्रतिवेदन में यह लिखा है कि आवेदक ने ३ अलग-अलग विक्रय पत्रों से कुल २६,०६४ वर्ग फीट ज़मीन खरीदी है जबकि उसका कुल कब्ज़ा ३१,४४० वर्ग फीट में है, अतः उसका कुल ५,३७६ वर्ग फीट पर अतिरिक्त कब्ज़ा है। साथ ही यह भी लिखा है कि ख नं ५४ में से आवेदक ने अंश भाग ०.२२ एकड़ खरीदा है।

इसके बाद द्वितीय आक्षेपित अंतरिम आदेश दि ८-२-१६ को तहसीलदार ने आदेश-पत्रिका पर आवेदक की आपत्ती को इस आधार पर निरस्त किया है कि केवल पंचनामे में उसकी (आवेदक की) उपस्थिति का लेख नहीं होना रिपोर्ट को अस्वीकार किये जाने योग्य नहीं बनाता, और यह लिखते हुए कि आपत्ती में लिखित तथ्यों को साक्ष्य द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है जो

उभयपक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध करें, प्रकरण को आवेदक (इस न्यायालय के अनावेदक) के साक्ष्य हेतु नियत कर दिया है.

इस आदेश दि ८-२-१६ के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी मेमो में आवेदक ने मुख्य नए आधार यह लिए हैं कि मौका जाँच के पूर्व उसे सूचित नहीं किया गया, और अलग-अलग समयों पर अलग-अलग रकबे पर आवेदक का अनधिकृत कब्जा बताया गया है. साथ ही उसने सम्बंधित भूमि के नक्शे की दि १३-५-१५ की सत्य-प्रति की छायाप्रति देकर यह भी कहा है कि अभी तक स नं ५४ में अनावेदक के बटांक ५४/३२ रकबा ०.३९० हेक्टेयर की नक्शे पर तरमीम नहीं की गई है, तो फिर उसपर बेजा कब्जा कैसे निकाल दिया गया है.

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैं यह पाता हूँ/ निर्देश देता हूँ कि

(१) अनावेदक की स नं ५४/३२ पर की भूमि की सर्वप्रथम नक्शे पर तरमीम, विधिवत संहिता के प्रावधानों का पालन करते हुए, और समस्त आवश्यक और हितबद्ध पक्षकारों, सह-खातेदारों, सरहद्दी कृषकों वगैरह को सूचना और सुनवाई का अवसर देते हुए, तहसीलदार को करनी चाहिए, जो वह तदनुसार, यदि पहले नहीं की गई हो, तो करें,

(२) सम्बंधित सीमांकन २००६ का है, यह बिंदु आवेदक ने उसके जवाब दि २५-३-१५ में लिखा है. अनावेदक ने धारा २५० के आवेदन दि २३-२-१५ में सीमांकन का जिक्र तो किया है लेकिन वह सीमांकन कब हुआ यह नहीं लिखा है. अतः, तहसीलदार इस बिंदु पर भी अपने न्यायालयीन प्रकरण में परीक्षण करें कि आवेदक का धारा २५० का आवेदन इस धारा की परिसीमा में है या नहीं. यह विचार करते समय तहसीलदार इस सन्दर्भ में पारित न्यायदृष्टान्तों का भी आवश्यकतानुसार सन्दर्भ लें, और उभयपक्ष को अपने-अपने पक्षसमर्थन का भी समुचित अवसर दें.

वैसे इस तारतम्य में प्रकरण का परीक्षण अन्य न्यायदृष्टान्तों आदि के अतिरिक्त, न्यायदृष्टान्त सोनसिंह वि पतिराम, १९९० रा नि ४२० के सन्दर्भ में भी तहसीलदार कर सकते हैं, जिसके अनुसार पूर्वतर सीमांकन के उपरांत पश्चातवर्ती आदेश से परिस्थिति में परिवर्तन होने पर परिसीमा पश्चातवर्ती आदेश की दिनांक से प्रारंभ होने का सिद्धांत प्रतिपादित है. इस तारतम्य में तहसीलदार को न्यायहित में यह देखना होगा कि क्या

उनके आदेश दि २५-३-१५ के अनुक्रम में जो मौका कार्यवाही हुई है, क्या उसके प्रकाश में प्रकरण में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि यह न्यायदृष्टान्त प्रकरण में लागू हो सके.

(३) तहसीलदार ने दि २५-३-१५ को आवेदक के उसी दिनांक के उत्तर का हवाला लेते हुए उनका प्रथम आक्षेपित अंतरिम आदेश आदेश-पत्रिका पर लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि "चूँकि सीमांकन वर्ष २००६ का है, वर्तमान परिस्थितियों में भूमि की क्या स्थिति है, रा नि तथा पटवारी मौका स्थिति की रिपोर्ट शिकायत आवेदन के अलोक में पेश करें, उभयपक्ष उपस्थित रहें".

तहसीलदार के इस अंतरिम आदेश से किसी भी पक्षकार का वैधानिक हित प्रभावित हुआ हो या प्रभावित होना संभावित हो गया हो, ऐसा नहीं माना जा सकता.

अतः, मैं इस आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता.

(४) द्वितीय आक्षेपित अंतरिम आदेश दि ८-२-१६ को तहसीलदार ने आदेश-पत्रिका पर आवेदक की आपत्ती को इस आधार पर निरस्त किया है कि केवल पंचनामे में उसकी (आवेदक की) उपस्थिति का लेख नहीं होना रिपोर्ट को अस्वीकार किये जाने योग्य नहीं बनाता, और यह लिखते हुए कि आपत्ती में लिखित तथ्यों को साक्ष्य द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है जो उभयपक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध करें, प्रकरण को आवेदक (इस न्यायालय के अनावेदक) के साक्ष्य हेतु नियत कर दिया है.

इस आदेश दि ८-२-१६ के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी मेमो में आवेदक ने मुख्य नए आधार यह लिए हैं कि मौका जाँच के पूर्व उसे सूचित नहीं किया गया, और अलग-अलग समयों पर अलग-अलग रकबे पर आवेदक का अनधिकृत कब्जा बताया गया है. साथ ही उसने सम्बंधित भूमि के नक्शे की दि १३-५-१५ की सत्य-प्रति की छायाप्रति देकर यह भी कहा है कि अभी तक स नं ५४ में अनावेदक के बटांक ५४/३२ रकबा ०.३९० हेक्टेयर की नक्शे पर तरमीम नहीं की गई है, तो फिर उसपर बेजा कब्जा कैसे निकाल दिया गया है.

तरमीम के बिंदु पर मैंने पहले ही अपने निर्देश पूर्ववर्ती बिंदु क्र (१) में लिख दिए हैं.

आवेदक की इस आदेश के विरुद्ध की शेष आपत्तियों के सन्दर्भ में मेरे तहसीलदार को यह निर्देश है कि, क्योंकि अभी उन्होंने उनके न्यायालय के प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और चूँकि आवेदक (उनके न्यायालय के अनावेदक पंकज) की यह आपत्ती है कि दि २५-३-१५ के बाद की मौका कार्यवाही उसको बगैर सूचना दिये और उसकी उपस्थिति

के बगैर हुई है, इसलिए वे न्यायहित में इस न्यायालय के अनावेदक राजकुमार के साथ-साथ इस न्यायालय के आवेदक पंकज को भी अपने समक्ष पक्षसमर्थन, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि का अवसर विधिवत उपलब्ध करा दें, और यदि मौके की कार्यवाही भी पुनः इस न्यायालय के आवेदक पंकज की उपस्थिति में कराने की आवश्यकता हो तो, वह भी न्यायहित में पंकज को पूर्व सूचना देते हुए एक बार और करा लें.

(५) उपरोक्त बिंदु (४) में लिखी गई कार्यवाही को इस न्यायालय के आवेदक पंकज भी अनिवार्यतः नोट करें, और वह यह सुनिश्चित करें कि अब वे, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम ७ दिन के भीतर या तहसीलदार द्वारा नियत दिनांक को, जो भी पहले हो, अपने पक्षसमर्थन हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे, और तदुपरांत भी तहसीलदार के न्यायालय में या मौके पर नियत दिनांक को, अनिवार्यतः उपस्थित होती रहेंगे. यदि वे ऐसा करने से चूकेंगे, तो तहसीलदार उन्हें युक्तिसंगत अवसर देने के बाद, प्रकरण में आगे कार्यवाही करने के लिए मुक्त होंगे.

(६) उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही करते हुए, तहसीलदार प्रकरण का, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम ४ माह के भीतर, सभी दृष्टिकोणों से अंतिम निराकरण बोलते स्वरूप के आदेश से, अनिवार्यतः करें.


इन समस्त निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं तहसीलदार, सागर सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

10.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

ग्वालियर